

RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS


UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



DATE
अप्रैल
05
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors



By Ankit Avasthi Sir

फ्लोराइड प्रदूषण / Fluoride Pollution

संदर्भ:

भारत में **भूजल प्रदूषण** एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के **सोनभद्र ज़िले** में ग्रेनाइट की समृद्ध परतों से निकला **अत्यधिक फ्लोराइड** भूजल में घुलकर इसे पीने योग्य नहीं बना रहा है। इससे **स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव** पड़ रहा है, विशेषकर **हड्डियों और दाँतों** से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं।

भूमिगत जल प्रदूषण (Groundwater Pollution):

परिभाषा:

- भूमिगत जल प्रदूषण तब होता है जब **प्रदूषक** जल स्रोतों में मिलकर उन्हें दूषित कर देते हैं।
- यह अक्सर **गलत कचरा निपटान, कृषि प्रथाओं** या **औद्योगिक गतिविधियों** के कारण होता है।

प्रमुख प्रदूषक: आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, भारी धातुएं, कीटनाशक, औद्योगिक कचरा :

प्रभाव:

- **मानव स्वास्थ्य** पर खतरा (पेयजल की गुणवत्ता घटती है)।
- **पारिस्थितिकी तंत्र** को नुकसान (जलचरों और मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव)।

भूमिगत जल प्रदूषण के स्रोत (Sources of Groundwater Pollution):

1. मानवजनित स्रोत (Human Activities):

गलत कचरा निपटान: कचरा भराव स्थल, लीक होते सीवर और स्थानीय स्वच्छता प्रणाली से प्रदूषक जल में मिल सकते हैं।

औद्योगिक गतिविधियाँ: लीक होते भंडारण टैंक, औद्योगिक अपशिष्ट जल और खनन अपशिष्ट भूमिगत जल को दूषित कर सकते हैं।

कृषि प्रथाएँ: कीटनाशक, उर्वरक और पशु मलमूत्र का अत्यधिक उपयोग भूमिगत जल में प्रदूषकों के रिसाव का कारण बनता है।

अन्य स्रोत: लीक होते भूमिगत भंडारण टैंक, पेट्रोल पंप और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से भी जल प्रदूषण हो सकता है।

2. प्राकृतिक स्रोत (Natural Sources):

स्वाभाविक रूप से मौजूद प्रदूषक: आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य खनिज भूगर्भीय संरचनाओं से जल में मिल सकते हैं।

लवणीय घुसपैठ: अत्यधिक भूजल निकासी से लवणीय जल मीठे जलभृतों में प्रवेश कर सकता है।

फ्लोराइड प्रदूषण: एक बढ़ती वैश्विक चिंता

फ्लोराइड प्रदूषण प्राकृतिक और मानवजनित दोनों स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिससे जल, मिट्टी और वायु दूषित होती है। इसके कारण **डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस** जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।

फ्लोराइड प्रदूषण के स्रोत (Sources of Fluoride Pollution):

1. प्राकृतिक स्रोत:

- फ्लोराइड स्वाभाविक रूप से चट्टानों, मिट्टी और जल में मौजूद होता है।
- ज्वालामुखीय गतिविधि, ज्वालामुखीय चट्टानों और क्षारीय घुसपैठ भूजल में फ्लोराइड छोड़ सकती हैं।
- शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र उच्च फ्लोराइड स्तर वाले भूजल के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं।

2. मानवजनित स्रोत:

- **औद्योगिक गतिविधियाँ** जैसे कोयला जलाना, ऊर्जा उत्पादन और निर्माण कार्य फ्लोराइड उत्सर्जित कर सकते हैं।
- **फॉस्फेट उर्वरकों** के खनन और प्रसंस्करण से फ्लोराइड प्रदूषण बढ़ सकता है।
- **औद्योगिक अपशिष्ट जल** का निर्वहन जल स्रोतों को दूषित कर सकता है।
- **अत्यधिक भूजल दोहन** और चट्टानों से फ्लोराइड का रिसाव जल में इसके स्तर को बढ़ा सकता है।
- **फॉस्फेट उर्वरकों** का अत्यधिक उपयोग भी फ्लोराइड के भूजल में रिसाव का कारण बन सकता है।

प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या को सुरक्षित **पेयजल** सुनिश्चित करने के लिए **भूजल गुणवत्ता** की नियमित निगरानी और उपयुक्त प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल जल जनित बीमारियों को रोका जा सकता है, बल्कि स्थायी जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

क्लाउड सीडिंग / Cloud Seeding

संदर्भ:

दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए **क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding)** के ज़रिए **कृत्रिम वर्षा** कराने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार ने IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है, जो इस पहल की **संभाव्यता का आकलन** कर रहा है। अगर यह सफल रहा, तो यह दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

क्लाउड सीडिंग: कृत्रिम वर्षा की तकनीक-

क्लाउड सीडिंग एक **मौसम संशोधन तकनीक** है, जिसमें बादलों में छोटे कण छोड़कर वर्षा या हिमपात की संभावना बढ़ाई जाती है। इसे **वर्षा बढ़ाने** या **ओलों को नियंत्रित करने** के लिए उपयोग किया जाता है।

क्लाउड सीडिंग कैसे काम करता है?

- बादलों में छोटे कण** (जैसे सिल्वर आयोडाइड) छोड़े जाते हैं, जो अति-शीतलित जलकणों (supercooled water) को घनीभूत करने में मदद करते हैं।
- ये कण जल अणुओं के जमने के लिए एक सतह प्रदान करते हैं, जिससे **बर्फ के क्रिस्टल** बनते हैं।
- बर्फ के क्रिस्टल बड़े होकर **हिमपात या वर्षा** के रूप में गिरते हैं।



उपयोग और लाभ:

- सूखे की स्थिति में राहत** प्रदान कर सकता है।
- जंगल की आग (Wildfire) के खतरे को कम** कर सकता है।
- जल आपूर्ति बढ़ाने** में सहायक हो सकता है।

क्लाउड सीडिंग की तकनीकें:

1. हाइड्रोस्कोपिक क्लौड सीडिंग:

- इस तकनीक का उद्देश्य तरल बादलों में बड़ी बूंदों का निर्माण करना है, जिससे वर्षा की संभावना बढ़ती है।
- इसमें ऐसे कणों का उपयोग किया जाता है जो बादलों में संघनन और टकराव-संघटन प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे वर्षा अधिक होती है।

2. ग्लेशियोजेनिक क्लौड सीडिंग:

- यह तकनीक सुपरकूल्ड बादलों में बर्फ के कणों के निर्माण को बढ़ावा देती है, जिससे वर्षा होती है।
- इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है, जो बर्फ के कण बनने की प्रक्रिया को तेज कर वर्षा को बढ़ाते हैं।

संभावित जोखिम:

- रसायनों का दुरुपयोग** पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकता है।
- रासायनिक संपर्क से त्वचा में जलन और पाचन तंत्र संबंधी समस्याएँ** हो सकती हैं।

सोलापुर में क्लौड सीडिंग प्रयोग:

- स्थान:** सोलापुर, जो पश्चिमी घाट के हवा की छाया (Leeward Side) क्षेत्र में स्थित है और यहाँ सामान्यतः कम वर्षा होती है।
- परिणाम:** क्लौड सीडिंग प्रयोग के माध्यम से वर्षा में 18% की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत का शैक्षिक परिवर्तन / India's educational transformation

संदर्भ:

भारत की शिक्षा प्रणाली दशकों तक उपेक्षित रही, जहां 1986 के बाद कोई प्रमुख नीति परिवर्तन नहीं हुआ। जब दुनिया तकनीक और वैश्वीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब भारत की शिक्षा प्रणाली **पुराने ढर्रे और तरीकों** में फंसी रही, जिससे नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गई।

नई शिक्षा नीति 2020 से पहले भारत की शिक्षा प्रणाली: ऐतिहासिक संदर्भ और चुनौतियाँ-

- भारत की शिक्षा प्रणाली दशकों तक पुरानी बनी रही, जिसमें अंतिम प्रमुख नीति अपडेट 1986 में और मामूली संशोधन 1992 में हुए।
- पूर्ववर्ती प्रशासन औपनिवेशिक मानसिकता बनाए रखते हुए थे और तकनीकी प्रगति के अनुरूप बदलाव करने में असफल रहे।
- भ्रष्टाचार, शासकीय कमियाँ और राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते रहे।
- सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को धन की कमी का सामना करना पड़ा, जबकि अनियंत्रित निजी संस्थानों की संख्या बढ़ती गई।
- 2009 के डीम्ड यूनिवर्सिटी घोटाले जैसे वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले सामने आए, जिससे शिक्षा क्षेत्र की स्वामियाँ उजागर हुईं।

NEP 2020: शिक्षा में सुधार:

- **समान शिक्षा का विस्तार:** अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियाँ लागू की गईं।
- **प्रारंभिक शिक्षा व बुनियादी साक्षरता:** 5+3+3+4 प्रणाली के तहत बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई।
- **बहुभाषी शिक्षा व भारतीय ज्ञान परंपरा:** क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया।
- **बेहतर बुनियादी ढांचा व शिक्षक अनुपात:** आधुनिक सुविधाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक और बेहतर शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराए गए।
- **कौशल व डिजिटल शिक्षा:** कोडिंग, एआई और मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग पर जोर दिया गया, जिससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला।

नवाचार पहल और सांस्कृतिक पुनरुद्धार:

• नवाचार और तकनीकी शिक्षा:

- मिडिल स्कूल से कोडिंग की पढ़ाई शुरू की गई।
- अटल टिकरिंग लैब्स (ATLs) की स्थापना से नवाचार को बढ़ावा मिला।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ और अधिक ATLs स्थापित करने की योजना।
- 11 भारतीय विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड रैंकिंग के शीर्ष 500 में शामिल।

• भाषा और सांस्कृतिक पुनरुद्धार:

- भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा, 'अंग्रेजी-प्रथम' नीति से दूरी।
- 'भारतीय भाषा पुस्तक योजना' के तहत 22 भारतीय भाषाओं में 15,000 पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन।

NEP 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियाँ:

1. कार्यान्वयन की बाधाएँ:

- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ढांचे का घीमा विस्तार
- बहु-विषयक शिक्षा को अपनाने में असमानता
- प्रशासनिक देरी

2. वित्तीय सीमाएँ:

- शिक्षा पर GDP का 6% खर्च का लक्ष्य अब भी अधूरा
- निजी क्षेत्र की भागीदारी की ज़रूरत, पर समानता बनी रहे

3. शिक्षक प्रशिक्षण की कमी:

- ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी
- निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता

4. अनुसंधान व नवाचार में कमी:

- उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग कम
- रिसर्च फंडिंग व ढांचे की सीमाएँ

वायु प्रदूषण संकट / Air pollution crisis

संदर्भ:

भारत ने 2026 तक पीएम 2.5 (PM 2.5) के स्तर को 2017 के मुकाबले 40% तक घटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। दिल्ली सहित कई महानगर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर हैं। औद्योगिक गतिविधियाँ, वाहनों से उत्सर्जन, निर्माण कार्य और पराली जलाना जैसी अनेक वजहों से वायु की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है, जिससे जनस्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

भारत में वायु प्रदूषण संकट:

- **लगातार बनी समस्या:** वायु प्रदूषण केवल मौसमी परेशानी नहीं, बल्कि एक स्थायी और गंभीर स्वास्थ्य संकट है।
- **प्रदूषण का प्रभाव:** अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की भीड़, स्कूलों की बंदी, और शहरों का धुंध में समा जाना आम हो गया है।
- **वैश्विक रैंकिंग:** भारतीय शहर अक्सर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार होते हैं।
- **सरकारी प्रयास:** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), भारत VI मानक, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY), और कोयला आधारित उद्योगों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसी योजनाओं से सुधार की कोशिशें हो रही हैं।
- **बिखरा हुआ प्रयास:** हालांकि, प्रतिक्रिया अभी भी धीमी और असंगठित है। ठोस सुधार के लिए बेहतर तालमेल और कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

वायु प्रदूषण से निपटने की चुनौतियाँ:

- **संरचनात्मक समस्या:** इसे केवल तकनीकी मुद्दा मानना गलत है। यह शासन क्षमता, जनसंख्या दबाव, सामाजिक-आर्थिक असमानता, व्यावहारिक मानदंड और आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी एक गहरी संरचनात्मक समस्या है।
- **हितधारकों की भूमिका:** वैज्ञानिक वायु गुणवत्ता का विश्लेषण करते हैं, लेकिन प्रभावी समाधान नगर निकायों, योजनाकारों, अभियंताओं और सामुदायिक नेताओं के सक्रिय प्रयासों पर निर्भर करता है।
- **बजट और बुनियादी ढांचे की कमी:** इन हितधारकों को सीमित बजट, पुरानी अवसंरचना और स्थानीय प्राथमिकताओं की प्रतिस्पर्धा जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- **महत्वाकांक्षी लक्ष्य:** भारत ने 2026 तक PM2.5 स्तर को 2017 के स्तर से 40% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जमीनी सच्चाइयों को नजरअंदाज करने से यह लक्ष्य अधूरा रह सकता है।
- **परिवहन संबंधी समस्या:** सिर्फ वाहनों को दोष देना पर्याप्त नहीं। प्रदूषण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे—वाहनों का प्रकार, ईंधन, उम्र, यात्रा दूरी और यातायात स्थिति। जब तक इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, स्थानीय सरकारों के लिए प्रभावी उत्सर्जन नियंत्रण रणनीतियाँ बनाना मुश्किल रहेगा।

आगे की राह:

- **गतिविधि-आधारित मापन:** स्टोव बदलने या डीजल बसों को हटाने जैसे ठोस कार्यों पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रभाव को स्पष्ट रूप से मापा जा सके और जवाबदेही बढ़े।
- **क्षमता निर्माण:** जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना और उनकी जिम्मेदारियों को वायु गुणवत्ता लक्ष्यों के अनुरूप बनाना आवश्यक है।
- **चरणबद्ध, डेटा-आधारित दृष्टिकोण:**
 - **चरण I:** स्थानीय उत्सर्जन प्रोफाइल तैयार कर प्रमुख प्रदूषण स्रोतों की पहचान करें।
 - **चरण II:** डेटा के आधार पर लक्षित कार्रवाइयों के लिए सीधे वित्तीय सहायता जोड़ें।
 - **चरण III:** वास्तविक प्रगति मापने के लिए केवल प्रदूषण स्तर ही नहीं, बल्कि उत्सर्जन में आई कमी को भी ट्रैक करें।

वक्फ विधेयक / Waqf Bill

संदर्भ:

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो चुका है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और विवाद समाधान की प्रक्रिया में बदलाव लाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें वक्फ बोर्डों की भूमिका, सरकारी नियंत्रण, और वक्फ संपत्तियों से संबंधित नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।

वक्फ: परिभाषा, इतिहास और विवाद:

वक्फ का अर्थ और मूल-

- 'वक्फ' अरबी भाषा का शब्द है, जो 'वकुफा' से बना है, जिसका अर्थ है ठहरना, रोकना या संरक्षित करना।
- इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहा जाता है, जो जन-कल्याण के लिए स्थायी रूप से दान की जाती है।

वक्फ अधिनियम का इतिहास:

- 1954:** स्वतंत्रता के बाद पहला वक्फ अधिनियम संसद में पारित हुआ।
- 1995:** नया वक्फ अधिनियम लागू हुआ, जिससे वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियाँ मिलीं, लेकिन साथ ही अतिक्रमण, अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ीं।
- 2013:** अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए, जिससे वक्फ संपत्तियों की बिक्री लगभग असंभव हो गई।

वक्फ विधेयक से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ:

वक्फ संपत्तियों की अपरिवर्तनीयता: 'एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ' का सिद्धांत कई कानूनी विवादों को जन्म देता है।

कच्चे और कानूनी विवाद: कई मामलों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कच्चे और कुप्रबंधन की शिकायतें आई हैं।

अधूरा सर्वेक्षण: कई राज्यों में वक्फ संपत्तियों की पहचान और सर्वेक्षण अधूरे हैं, जिससे पारदर्शी निगरानी संभव नहीं हो पाती।

न्यायिक निगरानी का अभाव: वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिससे प्रभावित पक्षों के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

वक्फ कानूनों का दुरुपयोग: कुछ मामलों में वक्फ अधिनियम का दुरुपयोग कर संपत्तियों पर अवैध दावे किए गए, जिससे स्थानीय विवाद बढ़े।

संवैधानिक वैधता पर सवाल: यह अधिनियम केवल मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है, जबकि अन्य धर्मों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, जो संविधान के समानता और भेदभाव न करने के सिद्धांत के विरुद्ध माना जाता है।

वक्फ विधेयक 2024: विवादित प्रमुख बदलाव:

वक्फ संपत्तियों के दावे पर सरकारी:

- पहले, मौखिक घोषणाओं या सामुदायिक परंपराओं से मिली संपत्तियाँ भी वक्फ मानी जाती थीं।
- नए विधेयक में **वक्फ बोर्डों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनिवार्यता** होगी।
- यदि किसी संपत्ति पर विवाद है, विशेष रूप से सरकारी जमीन पर दावा किया गया हो, तो अंतिम निर्णय सरकार लेगी।

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति:

- अब **गैर-मुस्लिम व्यक्तियों को वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में नियुक्त करने का प्रावधान** है।
- मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इस बदलाव का विरोध किया है।

न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति:

- पहले **वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय अंतिम होते थे** और उन्हें उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
- नया विधेयक **वक्फ विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है**, जिससे कानूनी पुनरावलोकन संभव होगा।

वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण:

- विधेयक के अनुसार, **सभी वक्फ संपत्तियों को छह महीने के भीतर केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली में दर्ज करना अनिवार्य होगा।**
- वक्फ बोर्डों को **नई संपत्तियों के पंजीकरण के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।**

सरकार की सर्वेक्षण प्रक्रिया में बढ़ी भूमिका:

- विधेयक सरकार को **वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण में अधिक नियंत्रण देता है**, जिससे सरकारी दखल बढ़ सकता है।

समग्र शिक्षा अभियान / Samagra Shiksha Abhiyan

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Abhiyan - SSA) के तहत अपने हिस्से से केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की है।

समग्र शिक्षा अभियान (SSA):

परिचय:

समग्र शिक्षा अभियान (SSA) भारत सरकार की प्रमुख स्कूल शिक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारना, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और वेतन आदि के लिए धन प्रदान करना है।

समाविष्ट योजनाएँ:

यह तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करता है—

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
- शिक्षक शिक्षा (Teacher Education)

महत्त्व: SSA विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

फंड्स से जुड़ी जानकारी:

- केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए क्रमशः ₹328.90 करोड़, ₹2,151.60 करोड़ और ₹1,745.80 करोड़ आवंटित किए गए थे।
- हालांकि, इन राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।
- इसके विपरीत, ₹45,830.21 करोड़ के कुल केंद्रीय आवंटन में से ₹27,833.50 करोड़ पहले ही अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए जा चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश, जिसे सबसे अधिक ₹6,971.26 करोड़ आवंटित किए गए थे, उसे ₹4,487.46 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

फंड जारी करने के मापदंड:

केंद्र सरकार SSA फंड्स को जारी करने के लिए कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें शामिल हैं:

- राज्यों द्वारा खर्च की गति
- राज्यों के अंशदान की प्राप्ति
- ऑडिटेड खातों और व्यय विवरण की प्रस्तुति
- बकाया अग्रिमों का निपटान
- पिछले वर्षों के अद्यतन उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation Certificates)

तमिलनाडु और केंद्र के बीच विवाद:

- तमिलनाडु ने कथित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तीन-भाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया है।
- इसके अलावा, राज्य ने PM-SHRI स्कूलों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- माना जा रहा है कि इन कारणों से तमिलनाडु को SSA फंडिंग में बाधा का सामना करना पड़ रहा है।

फंड रोकने का प्रभाव:

SSA फंड रोकने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

- सरकारी स्कूलों में शिक्षा सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
- लाखों शिक्षकों के वेतन में देरी हो सकती है।
- ट्रांसपोर्ट और मिड-डे मील योजनाओं पर असर पड़ेगा।
- शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण में रुकावट आएगी।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (RTE) के क्रियान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस तरह की देरी से हाशिए पर मौजूद समुदायों की शिक्षा तक पहुंच और अधिक सीमित हो सकती है, जो पूरी तरह से सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं।

बर्ड फ्लू / Bird Flu

संदर्भ:

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के छह जिलों – पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, कर्नूल, एलुरु, एनटीआर और काकीनाडा – में बर्ड फ्लू के प्रकोप की आधिकारिक पुष्टि की है। इन क्षेत्रों को *संक्रमित क्षेत्र* और *निगरानी क्षेत्र* घोषित किया गया है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्त जैव-सुरक्षा उपाय और नियंत्रण कदम उठाए जा रहे हैं।

बर्ड फ्लू क्या है?

बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा A वायरस के अलग-अलग स्ट्रेनों के कारण होता है, जो जंगली और घरेलू दोनों प्रकार के पक्षियों में फैलता है।

- ज्यादातर स्ट्रेन इंसानों को संक्रमित नहीं करते, लेकिन H5N1 जैसे कुछ स्ट्रेन गंभीर बीमारी फैला सकते हैं।
- यह बीमारी पक्षियों के बीच बहुत तेजी से फैलती है और पोल्ट्री व जंगली पक्षियों में बड़े स्तर पर संक्रमण का कारण बनती है।

संक्रमण कैसे फैलता है?

- **पक्षी से पक्षी:** यह बीमारी संक्रमित जंगली या घरेलू पक्षियों के बीच आसानी से फैलती है।
- **पक्षी से इंसान:** संक्रमित पक्षियों, उनके लार, मल-मूत्र या दूषित सतहों के संपर्क में आने से इंसानों में संक्रमण हो सकता है।
- **इंसान से इंसान:** बहुत दुर्लभ मामलों में, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से अन्य इंसानों को भी संक्रमण हो सकता है, खासकर जब मरीज की देखभाल की जा रही हो।

जोखिम कारक: संक्रमित पक्षियों, उनके मल, लार या दूषित सतहों के संपर्क में आना सबसे बड़ा जोखिम है।

इंसानों में लक्षण:

- **सामान्य लक्षण:** बुखार, खांसी, गले में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत।
- **अन्य लक्षण:** कुछ मामलों में आंखों में संक्रमण (Conjunctivitis) या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
- **गंभीर मामले:** निमोनिया या मौत का खतरा भी हो सकता है।

त्रिपिटक / Tipitaka

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके थाई समकक्ष पैतोंगटार्न शिनावत्रा द्वारा 'द वर्ल्ड त्रिपिटक: सज्जाय फोनिटिक एडिशन' प्रदान किया गया। यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारत और थाईलैंड के बीच गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाता है, जो उनकी साझा बौद्ध विरासत पर आधारित है।



Tipitaka (त्रिपिटक) – बौद्ध ग्रंथों का सारांश:

अर्थ: 'Tipitaka' पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है "तीन टोकरी"। यह बौद्ध धर्मग्रंथों के तीन प्रमुख भागों को दर्शाता है।

तीन पिटक (Baskets):

1. **विनय पिटक (Vinaya Pitaka) – अनुशासन की टोकरी:** इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम, अनुशासन और मठ जीवन के आचार-विचार शामिल हैं।
2. **सुत पिटक (Sutta Pitaka) – उपदेशों की टोकरी:** बुद्ध द्वारा दिए गए प्रवचनों (Discourses) का संग्रह है, जो धार्मिक शिक्षाओं का मुख्य स्रोत है।
3. **अभिधम्म पिटक (Abhidhamma Pitaka) – उच्च धर्म की टोकरी:** बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की गहराई से व्याख्या करता है। यह बौद्ध शिक्षाओं का दार्शनिक और विश्लेषणात्मक पक्ष है।

रचना का समय व स्थान: इन ग्रंथों का संकलन गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में *प्रथम बौद्ध संगीति* (First Buddhist Council) के दौरान *राजगृह (राजगीर)*, भारत में किया गया था।

टिप्पणी:

तीपिटक थेरवाद (Theravāda) बौद्ध परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है और श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार जैसे देशों में इसका गहरा प्रभाव है।

कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024 / The Coastal Shipping Bill, 2024

संदर्भ:

लोकसभा ने कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024 को पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है।

बिल के प्रमुख प्रावधान:

1. कोस्टिंग व्यापार के लिए लाइसेंस:

- भारतीय जहाजों के लिए व्यापारिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
- विदेशी जहाजों के लिए, लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक रहेगा, जिसे नौवहन महानिदेशक (Director General of Shipping - DGS) जारी करेगा।
- कोस्टिंग व्यापार का अर्थ है—भारत के एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान या बंदरगाह तक समुद्र के माध्यम से माल या यात्रियों का परिवहन।

2. रणनीतिक योजना और डेटाबेस:

- राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना तैयार करना अनिवार्य होगा, जिसे हर दो साल में संशोधित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय तटीय नौवहन डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसमें तटीय शिपिंग से जुड़ी सूचनाएं संग्रहीत होंगी।

3. नौवहन महानिदेशक (DGS) के अधिकार: DGS को सूचना मांगने, निर्देश जारी करने और नियमों के अनुपालन को लागू करने का अधिकार दिया गया है।

4. केंद्र सरकार के अधिकार: केंद्र सरकार को नियमों में छूट देने और नियामक निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिससे भारत में तटीय नौवहन संचालन अधिक सुचारु और प्रभावी हो सके।

बिल के बारे में:


- यह भारतीय तटीय जल (territorial waters) और इससे जुड़े समुद्री क्षेत्रों में व्यापार करने वाले जहाजों को विनियमित करता है।
- बिल वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख समुद्री देशों के समर्पित कानूनों पर आधारित है।
- यह तटीय नौवहन से जुड़े कानूनों को संविदाबद्ध (consolidate) और संशोधित करता है।
- कोस्टिंग व्यापार को बढ़ावा देने और घरेलू भागीदारी (domestic participation) को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है।

भारत का शिपिंग सेक्टर:

कार्गो ट्रैफिक में वृद्धि:

- 2014 से 2024 के बीच तटीय कार्गो ट्रैफिक में 119% की बढ़ोतरी हुई।
- 2030 तक इसे 230 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

Cargo traffic at major ports (million tonnes)



Source: Ministry of Shipping

महत्वपूर्ण उपलब्धियां: पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पिछले दशक में कार्गो हैंडलिंग क्षमता में 103% की वृद्धि की।

पोर्ट रैंकिंग में सुधार:

- भारत की वैश्विक पोर्ट रैंकिंग 2014 में 54वें स्थान से 2023 में 38वें स्थान पर आ गई।
- दुनिया के टॉप 100 बंदरगाहों में भारत के 9 बंदरगाह शामिल हो चुके हैं।

भविष्य की योजनाएं:

- 2035 तक बंदरगाह बुनियादी ढांचे (port infrastructure) में 82 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना है।
- अगले 10 वर्षों में कम से कम 1,000 जहाजों की नई शिपिंग कंपनी स्थापित करने की योजना है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !



ANKIT AVASTHI



RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now



GA FOUNDATION






Hand Written
Notes


Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

**4 पुस्तकों का
सम्पूर्ण सेट**



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**



APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

-  DAILY LIVE CLASSES
-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala  7878158882

 Apni.Pathshala  kaankit  AnkitAvasthiSir  Avasthiankit

ONLY POLITY



1499
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!

